

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।
दिनांक- प्रशिक्षण/जीएनएम/2010-11/

प्रधानाचार्य,

विषय:- जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2010-11 में इस निदेशालय द्वारा आवंटित छात्रों में से उपस्थिति देने वाले छात्रों की सूचना न भिजवाये जाने बाबत कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- निदेशालय का पत्रांक: प्रशिक्षण/जीएनएम/2010-11/1803 दिनांक 6.10.10, स्मरण पत्रांक 1848-1998 दिनांक 19.10.10 एवं रजिस्टर्ड पत्रांक 2086-2236 दिनांक 2.11.10

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि आपकी संस्थान में राजकीय कोटे की सीटो पर प्रवेश हेतु प्रथम काउंसलिंग दिनांक 13.8.10 से 1.10.10 तक एवं द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 27.10.10 से 29.10.10 तक आयोजित की जाकर छात्र आवंटित किये गये तथा आपके यहां उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों की सूचना भिजवाये जाने हेतु आपको आवंटन पत्र में ही निर्देशित किया गया था, परन्तु खेद का विषय है कि आपने इस निदेशालय से बार- बार लिखे जाने पर भी न केवल प्रथम काउंसलिंग बल्कि द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित छात्रों में से उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों की भी सूचना इस निदेशालय को नहीं भिजवाई है। इस प्रकार आपने यह सूचना नहीं भिजवाकर राज्य सरकार की एन.ओ.सी. की शर्तों एवं इस निदेशालय के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की है। आपका यह कृत्य आपकी संस्थान को जारी राज्य सरकार की एन.ओ.सी. को वापिस लिये जाने का पर्याप्त आधार है।

अतः यह कारण बताओं नोटिस जारी कर पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अब तक चाही गई वाछित सूचना नहीं भेजे जाने के कारण को स्पष्ट करते हुये उपरोक्त सूचना संलग्न प्रपत्र में पत्र प्राप्ती के तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपकी उक्त सूचना नहीं भिजवाये जाने के कारण आपके संस्थान में रिक्त रहने वाली सीटो के लिए आपका स्वयं का दायित्व होगा। साथ ही आपकी संस्थान को जारी राज्य सरकार की एन.ओ.सी. को रद्द करने की कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(बी0 के0 दोसी)
अति0 निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- प्रशिक्षण/जीएनएम/2010-11/ 2285 दिनांक- 16/11/2010
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज0 जयपुर।
- 2- जन संपर्क अधिकारी, मुख्यालय।
- 3- अध्यक्ष, राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग स्कूल्स फेडरेशन को भेजकर लेख है कि आप अपने स्तर से संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स को उनके यहां जी0एन0एम0 सत्र 2010-11 में उपस्थिति देने वाले छात्रों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर भिजवाने हेतु निर्देशित करें। (संलग्न- प्रपत्र)
- 4- प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।


अति0 निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

